न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 14/2003/अपील

रिछपाल पुत्र स्व0 साधुराम जाति यादव निवासी ढ़ाणी माल्याली तन जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 मदनलाल (मृत)
1/1 ओमप्रकाश } पुत्रगण स्व0 मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी अजीतगढ़ तहसील
1/2 बाबूलाल } श्रीमाधोपुर जिला सीकर
1/3 राजू पुत्री स्व0 मदनलाल पत्नी मदनलाल निवासी नगर गोपाल जी का मन्दिर अजमेरा
2 तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.04.1998 अनुवानी सरकार बनाम मदनलाल द्वारा न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री मदनलाल शर्मा
वकील रेस्पोडेंट श्री पुरूषोतम बिल्खीवाल

निर्णय **दिनांकः—07.11.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलांट की शिकायत व रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर रेस्पो0 के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात् बिना कोई साक्ष्य सबुत लिये एवं बिना विधिवत जांच किये तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने दिनांक 20.04.1998 को बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण रेस्पो0 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का आदेश कतई गलत रूप से पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ तहसीलदार ने प्रस्तुत प्रकरण में ना तो पक्षकारों की साक्ष्य अंकित की एवं ना ही पक्षकारों से किसी प्रकार पूछताछ की। प्रस्तुत प्रकरण में सुलतान एवं महावीर पुत्रगण रिछपाल अहीर आवश्यक पक्षकार है। वादग्रस्त भूमि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की पट्टा शुदा भूमि है। इस विषय में सुलतान एवं महावीर को पक्षकार बनाये बिना तथा उनकी अनुपस्थिति में आज्ञा जैर अपील पारित करने का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं था। किसी व्यक्ति विशेष की पट्टा शुदा भूमि के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार को नियमन करने की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इस तथ्य पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली एवं रिकार्ड के विपरीत आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण की पुनः जांच करवाने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय में अंकित किया

गया है कि "एक बार किसी अधिकारी द्वारा नियमन की सिफारिश कर दी जाती है तो पुनः अतिक्रमण की रिपोर्ट नहीं ली जा सकती है। अभी नियमन कमेटी ने इस पत्रावली पर कोई निर्णय नहीं लिया है। अतः अतिक्रमण की रिपोर्ट निरस्त की जाती है। पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि जब तक नियमन कमेटी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे।" चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने चुनौतिग्रस्त आदेश पारित कर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को निरस्त किया जाकर नियमन कमेटी द्वारा पारित निर्णय तक बेदखली कार्यवाही को रोका गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश में अप्रार्थीगण/अतिक्रमियों के पक्ष में नियमन की गई भूमि बाबत पारित आदेश का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है एवं नियमन की गई भूमि का रकबा एवं किस्म तक अंकित नहीं किया है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को खारिज करने का कोई युक्ति आधार अंकित नहीं किया गया है एवं विधिवत प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय केवल मात्र सरसरी आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.1998 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण के सम्बंध में पुनः जांच कर अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमियों का अतिक्रमण होने की दशा में नियमानुसार विधिवत आवश्यक कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.11.11 18:35:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: